




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Office of Commissioner
Cum
Director General School Education



OR: 20 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701337 Fax: 91(0172)-2701347
ऑफिस: 20 बेस बिल्डिंग, तृतीय मंज, सेक्टर 17-बी चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) टेली: 91 (0172) 2701337 फैक्स: 91 (0172) 2701347
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश क्रमांक 29/39-2007 PS (2)

दिनांक, चण्डीगढ़ 24.06.2009

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Saraswati Vidya Mandir High School, Nangal Chaudhary (Mohindergarh) को कक्षा 1 से 10वीं तक को केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु सम्बन्धता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय रखाई मान्यता आदेश क्रमांक 29/39-2007 PS (2) दिनांक 15.04.2008 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 1386/MGH/10th/BOSE/2008 है।

अनुराग रस्तोगी
आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ :- 24-6-09

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समिति, Daya Nand Shiksha Samiti, Vill & P.O. Nangal Chaudhary, Teh. Narnaul (M/Garh)
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Mohindergarh।
5. मुख्यप्र्यापक, Saraswati Vidya Mandir High School, Nangal Chaudhary (Mohindergarh)।
6. मास्टर फाइल।

अधीक्षक पी.एस.
कृते आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।